भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार
जनपथ, नई दिल्ली-110011
www.nationalarchives.nic.in
archives@nic.in

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना

2017-2018

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय सम्मिलित है एवं व्यक्तियों से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायतार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क. उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजो, ऐतिहासिक अभिलेख चार्टो व मानचित्रों के वैज्ञानिक परिरक्षण/संरक्षण/मरम्मत/रेस्टोरेशन माइक्रोफिल्मिंग, सूचीकरण, कैटेलॉगिंग, मूल्यांकन, अनुवाद, प्रकाशन/पुनर्मुद्रण तथा दुर्लभ पुस्तकें खरीदने के लिए।

ख. अभिलेख छाया चित्र तथा मुद्रणों (ओलियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए।

ग. पांडुलिपियों दुर्लभ पुस्तकों के परीक्षण एवं संरक्षण के लिए अपेक्षित मदों जैसे वातानुकूलन वैक्यूम क्लीनर, फ्यूमीगेशन चैंबर्स एवं उपचार हेतु रसायन खरीद के लिए।

घ. पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, एतिहासिक अभिलेख का डिजिटाइजेशन, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुद्रण (डिजिटाइजेशन जॉब वर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात कैमरा, स्कैनर, कंप्यूटर प्रिंटर कॉपियर की खरीद हेतु समर्थन सहित) के लिए भी।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है जो प्रतिवर्ष परियोजना की कुल लागत के 75:25 के अनुपात में होगी (अर्थात केंद्रीय सरकार का 75 % शेयर और अनुदानग्राही की 25 % मैचिंग शेयर)

निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय संवीक्षा स्क्रीनिंग समिति (संबंधित राज्य अभिलेखागार के निदेशक से इस विषय हेतु संपर्क करें)/राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए आवेदन को अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपद, नई दिल्ली- 110001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर अवश्य भेजे जाए।

योजना की वित्तीय सहायता का पूरा विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रपत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in सब हैड Grants-in-aid on home page पर से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते पर लिखकर या स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स ई-पेपर- 8 मई 2017-पेज # 6

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार

जनपथ, नई दिल्ली-110011

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना

2017-2018

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय सम्मिलित है एवं व्यक्तियों से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायतार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क. उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजो, ऐतिहासिक अभिलेख चार्टो व मानचित्रों के वैज्ञानिक परिरक्षण/संरक्षण/मरम्मत/रेस्टोरेशन माइक्रोफिल्मिंग, सूचीकरण, कैटेलॉगिंग, मूल्यांकन, अनुवाद, प्रकाशन/पुनर्मुद्रण तथा दुर्लभ पुस्तकें खरीदने के लिए।

ख. अभिलेख छाया चित्र तथा मुद्रणों (ओलियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए।

ग. पांडुलिपियों दुर्लभ पुस्तकों के परीक्षण एवं संरक्षण के लिए अपेक्षित मदों जैसे वातानुकूलन, वैक्यूम क्लीनर फ्यूमीगेशन चैंबर्स एवं उपचार हेतु रसायन खरीद के लिए।

घ. पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, एतिहासिक अभिलेख का डिजिटाइजेशन, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुद्रण (डिजिटाइजेशन जॉब वर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात कैमरा, स्कैनर, कंप्यूटर प्रिंटर कॉपियर की खरीद हेतु समर्थन सहित) के लिए भी।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है जो प्रतिवर्ष परियोजना की कुल लागत के 75:25 के अनुपात में होगी (अर्थात केंद्रीय सरकार का 75 % शेयर और अनुदानग्राही की 25 % मैचिंग शेयर)

निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय संवीक्षा स्क्रीनिंग समिति (संबंधित राज्य अभिलेखागार के निदेशक से इस विषय हेतु संपर्क करें)/राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए आवेदन को अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपद, नई दिल्ली- 110001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर अवश्य भेजे जाए।

योजना की वित्तीय सहायता का पूरा विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रपत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in सब हैड Grants-in-aid on home page पर से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते पर लिखकर या स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के

परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना

2017-2018

आवेदन प्रपत्र

1. संस्थान/संगठन/व्यक्ति आदि का नाम और पत्र व्यवहार का पूरा पता दूरभाष सं. फैक्स सं. ईमेल आईडी और विशिष्ट आईडी सं.
2. इंडियन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी और ट्रस्ट के रूप में स्थापना/पंजीकरण की तिथि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ प्रबंधन बोर्ड का ब्योरा
3. विशिष्ट आईडी संख्या (गैर सरकारी संगठनों के लिए)
4. पांडुलिपियों/दुर्लभ किताबें, पुराने और दुर्लभ दस्तावेज, इतिहास का अभिलेख, होल्डिंग्स और उनके शीर्षक, लेखक, समावेशी वर्षों/अवधी, विषय, भाषाओं का स्वरूप और संख्या जिसके लिए वह स्वैच्छिक संगठन की अभिरक्षा में है
5. बैलेंस शीट (पिछले साल) और वार्षिक रिपोर्ट की नवीनतम प्रति के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षा खाते
6. किसी भी अन्य स्रोत से केंद्र / राज्य सरकार से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा देने वाला विवरण। यदि आवेदक को पहले इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिली है, तो प्रसंगोचित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न की जा सकती हैं।
7. परियोजना का ब्यौरा जिसके लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने के विवरण के साथ सहायता की जाती है
8. मांगी गई वित्तीय सहायता के मद-वार विवरण के साथ परियोजना की अनुमान लागत
9. स्रोत जहां से परियोजना की 25% लागत पूरी की जाएगी
10. परियोजना के लिए किसी भी अन्य स्रोत से अपेक्षित वित्तीय सहायता
11. संबंधित राज्य स्तरीय जांच समिति की सिफारिश को आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय मुहर

* एनजीओ को खुद को www.ngo.gov.in पर पंजीकृत करना चाहिए और विशिष्ट आईडी संख्या प्राप्त करनी चाहिए